भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1853
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

एयर कंडीशनरों के लिए मानकीकृत शीतलन सीमा

†1853. थिरू दयानिधि मारन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उच्च आर्द्रता या अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में मानकीकृत शीतलन सीमा उपभोक्ता सुविधा, ऊर्जा उपयोग, औद्योगिक उत्पादकता और उपकरणों के कार्य-निष्पादन को किस प्रकार प्रभावित करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक समान शीतलन सीमा की सिफारिश करने से पहले एसी निर्माताओं, ऊर्जा दक्षता निकायों, उपभोक्ता समूहों और राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने, एसी को एक मानकीकृत सीमा से नीचे प्रशीतित करने से रोके जाने की स्थिति में, विशेषकर शिशुओं, बुजुर्गों और स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में रोगियों हेतु स्वास्थ्य परिणामों के सम्बंध में संभावित प्रभावों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जून 2025 के उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है जिसमें एयर कंडीशनरों को 20°C-28°C सीमा के अंदर संचालित करना अनिवार्य किया गया है और क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने एयर कंडीशनर के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के तहत 24 डिग्री सेल्सियस की डिफ़ॉल्ट तापमान सेटिंग विनिर्दिष्ट की है, जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी एकसमान या मानकीकृत शीतलन सीमा को अधिसूचित नहीं किया गया है, और इसलिए ऐसी सीमा पर कोई विस्तृत मूल्यांकन या परामर्श नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : एयर कंडीशनरों में 20°C से 28°C संचालन सीमा के लिए एक उपयोगकर्ता सर्वेक्षण किया गया था। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, तापमान की कोई सीमा अनिवार्य नहीं की गई है। नतीजतन, कोई अलग स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है और कोई कार्यान्वयन समय सीमा तय नहीं की गई है।

****